

# प्राधिकृत अधिकारी

वे यहाँ आपके जन परिवहन के बिना समस्या संचालन करते रहने के लिए हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई अपनी यात्रा का भुगतान करता है।

वे कानूनी तौर पर:

- आपकी टिकट और रियायत की पात्रता की जांच कर सकते हैं, आपके गाड़ी से उतरने या स्टेशन से बाहर जाने के बाद भी
- आपसे आपका नाम, पता बताने और पहचान का प्रमाण दिखाने को कह सकते हैं
- आपको डिपॉर्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं
- आपके अनुपालन न करने पर पुलिस के आने तक आपको गिरफ्तार कर सकते हैं

# बिना वैध टिकट यात्रा करने का जुर्माना है:

किसी वयस्क के लिए **\$273**

किसी बच्चे के लिए **\$91**

डिपार्टमेंट प्राधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और अपने फैसले से जुड़ी जानकारी डाक से आपको भेजेगा। प्राधिकृत अधिकारी चेतावनियाँ या जुर्माने जारी नहीं करते हैं।

